

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	6216.36	5.82	6222.18	6540.04	12.57	6552.61	6539.44	13.17	6552.61	6984.27	27.02	7011.29
<b>वसूलियां</b>	-20.06	...	-20.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>6196.30</b>	<b>5.82</b>	<b>6202.12</b>	<b>6540.04</b>	<b>12.57</b>	<b>6552.61</b>	<b>6539.44</b>	<b>13.17</b>	<b>6552.61</b>	<b>6984.27</b>	<b>27.02</b>	<b>7011.29</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	15.87	...	15.87	20.33	...	20.33	19.33	...	19.33	20.66	...	20.66
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	24.35	...	24.35	26.04	...	26.04	31.87	...	31.87	32.87	...	32.87
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>40.22</b>	...	<b>40.22</b>	<b>46.37</b>	...	<b>46.37</b>	<b>51.20</b>	...	<b>51.20</b>	<b>53.53</b>	...	<b>53.53</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास</b>												
3. खादी अनुदान (के जी)	263.89	...	263.89	415.00	...	415.00	413.12	...	413.12	308.51	...	308.51
4. ग्रामोद्योग (बीआई) अनुदान	83.10	...	83.10	110.00	...	110.00	75.00	...	75.00	...	...	...
5. खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रो.)	1.89	...	1.89	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	...	...	...
6. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	339.53	...	339.53	80.03	...	80.03	146.03	...	146.03	0.01	...	0.01
7. बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता	328.31	...	328.31	340.00	...	340.00	269.10	...	269.10	103.33	...	103.33
8. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	9.76	...	9.76	125.00	...	125.00	86.15	...	86.15	125.00	...	125.00
9. कयर विकास योजना	50.00	...	50.00	80.00	...	80.00	75.93	...	75.93	70.50	...	70.50
10. कयर उद्यमी योजना	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00
11. खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के लिए ऋण	...	0.10	0.10	...	0.57	0.57	...	0.57	0.57	...	0.42	0.42
12. सोलर चरखा मिशन	...	...	...	50.00	...	50.00	20.00	...	20.00	143.50	...	143.50
13. खादी विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	396.46	...	396.46
14. ग्रामोद्योग विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	102.92	...	102.92
<b>जोड़-खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास</b>	<b>1083.48</b>	<b>0.10</b>	<b>1083.58</b>	<b>1215.03</b>	<b>0.57</b>	<b>1215.60</b>	<b>1097.83</b>	<b>0.57</b>	<b>1098.40</b>	<b>1252.23</b>	<b>0.42</b>	<b>1252.65</b>
<b>प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन</b>												
15. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर)	47.63	...	47.63	232.00	...	232.00	224.00	...	224.00	50.00	...	50.00

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएमसीपी)	294.52	...	294.52	1006.00	...	1006.00	1013.56	...	1013.56	705.78	...	705.78
<b>जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन</b>	<b>342.15</b>	<b>...</b>	<b>342.15</b>	<b>1238.00</b>	<b>...</b>	<b>1238.00</b>	<b>1237.56</b>	<b>...</b>	<b>1237.56</b>	<b>755.78</b>	<b>...</b>	<b>755.78</b>
<b>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें</b>												
17. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1072.90	...	1072.90	1800.64	...	1800.64	2118.80	...	2118.80	2327.10	...	2327.10
18. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी)	37.78	...	37.78	50.00	...	50.00	37.20	...	37.20	...	...	...
19. ऋण सहायता कार्यक्रम	3002.00	...	3002.00	700.00	...	700.00	715.00	...	715.00	597.00	...	597.00
20. निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम	...	...	...	5.00	...	5.00	8.45	...	8.45	0.04	...	0.04
21. एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना	...	...	...	...	...	...	275.00	...	275.00	350.00	...	350.00
<b>जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें</b>	<b>4112.68</b>	<b>...</b>	<b>4112.68</b>	<b>2555.64</b>	<b>...</b>	<b>2555.64</b>	<b>3154.45</b>	<b>...</b>	<b>3154.45</b>	<b>3274.14</b>	<b>...</b>	<b>3274.14</b>
<b>विपणन संवर्धन स्कीम</b>												
22. प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए)	11.03	...	11.03	65.00	...	65.00	53.95	...	53.95	87.60	...	87.60
23. विपणन सहायता स्कीम (एमएस)	10.16	...	10.16	15.00	...	15.00	8.00	...	8.00	10.03	...	10.03
24. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	4.08	...	4.08	5.00	...	5.00	5.02	...	5.02	30.00	...	30.00
<b>जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम</b>	<b>25.27</b>	<b>...</b>	<b>25.27</b>	<b>85.00</b>	<b>...</b>	<b>85.00</b>	<b>66.97</b>	<b>...</b>	<b>66.97</b>	<b>127.63</b>	<b>...</b>	<b>127.63</b>
<b>उद्यमिता और कौशल विकास</b>												
25. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	7.80	...	7.80	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
26. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	139.64	...	139.64	200.00	...	200.00	174.84	...	174.84	327.91	...	327.91
27. सूचना, शिक्षा और संचार	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
28. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	4.53	...	4.53	30.00	...	30.00	23.44	...	23.44	30.00	...	30.00
29. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	...	...	...	...	...	...	0.19	...	0.19	...	...	...
30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि	...	...	...	100.01	...	100.01	20.00	...	20.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास</b>	<b>151.97</b>	<b>...</b>	<b>151.97</b>	<b>340.01</b>	<b>...</b>	<b>340.01</b>	<b>228.47</b>	<b>...</b>	<b>228.47</b>	<b>479.91</b>	<b>...</b>	<b>479.91</b>
<b>अवसंरचना विकास कार्यक्रम</b>												
31. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	246.46	...	246.46	400.00	...	400.00	315.75	...	315.75	419.57	...	419.57
32. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.12	...	125.12
33. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक	146.22	...	146.22	550.00	...	550.00	299.95	...	299.95	350.00	...	350.00
34. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	5.72	5.72	...	12.00	12.00	...	12.60	12.60	...	26.60	26.60
<b>जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम</b>	<b>392.68</b>	<b>5.72</b>	<b>398.40</b>	<b>950.00</b>	<b>12.00</b>	<b>962.00</b>	<b>615.70</b>	<b>12.60</b>	<b>628.30</b>	<b>894.69</b>	<b>26.60</b>	<b>921.29</b>
<b>अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन</b>												
35. डाटाबेस का उन्नयन	7.87	...	7.87	15.03	...	15.03	8.66	...	8.66	23.10	...	23.10
36. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	0.86	...	0.86	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	1.57	...	1.57
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	59.18	...	59.18	93.96	...	93.96	78.30	...	78.30	121.69	...	121.69
<b>जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन</b>	<b>67.91</b>	<b>...</b>	<b>67.91</b>	<b>109.99</b>	<b>...</b>	<b>109.99</b>	<b>87.26</b>	<b>...</b>	<b>87.26</b>	<b>146.36</b>	<b>...</b>	<b>146.36</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>6176.14</b>	<b>5.82</b>	<b>6181.96</b>	<b>6493.67</b>	<b>12.57</b>	<b>6506.24</b>	<b>6488.24</b>	<b>13.17</b>	<b>6501.41</b>	<b>6930.74</b>	<b>27.02</b>	<b>6957.76</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
38. वास्तविक वसूलियां	-20.06	...	-20.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>6196.30</b>	<b>5.82</b>	<b>6202.12</b>	<b>6540.04</b>	<b>12.57</b>	<b>6552.61</b>	<b>6539.44</b>	<b>13.17</b>	<b>6552.61</b>	<b>6984.27</b>	<b>27.02</b>	<b>7011.29</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	5.72	5.72	...	12.00	12.00	...	12.59	12.59	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>	<b>...</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>...</b>	<b>12.59</b>	<b>12.59</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. ग्राम एवं लघु उद्योग	6180.43	...	6180.43	5849.66	...	5849.66	5840.40	...	5840.40	6208.35	...	6208.35
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	15.87	...	15.87	20.33	...	20.33	19.33	...	19.33	20.66	...	20.66
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	...	26.60	26.60
5. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	0.10	0.10	...	0.57	0.57	...	0.57	0.57	...	0.42	0.42
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>6196.30</b>	<b>0.10</b>	<b>6196.40</b>	<b>5869.99</b>	<b>0.57</b>	<b>5870.56</b>	<b>5859.73</b>	<b>0.58</b>	<b>5860.31</b>	<b>6229.01</b>	<b>27.02</b>	<b>6256.03</b>
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	670.05	...	670.05	679.71	...	679.71	755.26	...	755.26
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>670.05</b>	<b>...</b>	<b>670.05</b>	<b>679.71</b>	<b>...</b>	<b>679.71</b>	<b>755.26</b>	<b>...</b>	<b>755.26</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>6196.30</b>	<b>5.82</b>	<b>6202.12</b>	<b>6540.04</b>	<b>12.57</b>	<b>6552.61</b>	<b>6539.44</b>	<b>13.17</b>	<b>6552.61</b>	<b>6984.27</b>	<b>27.02</b>	<b>7011.29</b>

( ₹ करोड़)

	बजट 2019-2020			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	71.80	71.80	...	370.00	370.00	...	150.00	150.00	...	205.00	205.00
2. कैयर बोर्ड	...	3.07	3.07	...	2.55	2.55	...	3.00	3.00	...	4.00	4.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>74.87</b>	<b>74.87</b>	<b>...</b>	<b>372.55</b>	<b>372.55</b>	<b>...</b>	<b>153.00</b>	<b>153.00</b>	<b>...</b>	<b>209.00</b>	<b>209.00</b>

1. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार, समन्वयन और मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह प्रावधान मुख्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) के स्थापना संबंधित व्यय के लिए है।

3. **खादी अनुदान (के जी):** इस उप शीर्ष के तहत बजटीय आवंटन का उद्देश्य केवीआईसी के कार्मिकों के वेतन, पेंशन, टीए, डीए और आकस्मिक का संबंधी व्यय को पूरा करना है।

4. **ग्रामोद्योग (बीआई) अनुदान:** इस उप शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का आशय प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उपयुक्त आईटी सहायता के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन एवं विकास करना, नए उत्पादों के विकास के लिए आवंटन, ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईबी के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों तथा केवीआईसी/केवीआईबी से संबद्ध संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन विकास शुरू करना, सामान्य सुविधा आदि उपलब्ध कराना है।

5. **खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्री.):** इस उप-शीर्ष में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए बजटीय आवंटन का प्रावधान है। इन परियोजनाओं से कार्य को पिरसता में कमी की संभावना प्रदर्शित होगी, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और नए उत्पादों/प्रक्रियाओं की शुरूआत होगी।

6. **खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता):** भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि उपलब्ध कराकर खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) को प्रारम्भ और समर्थित किया गया था। भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन के दृष्टिगत खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास संभावना का पूर्णतः लाभ उठाना, कारीगरों की आय में वृद्धि करना, ग्रंथों को बदलना और प्रौद्योगिकी में सुधार लाना तथा खादी का बाजार की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप स्थान भी सुनिश्चित करना है।

7. **बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बाजार विकास सहायता स्कीम को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) के रूप में संशोधित किया गया है। एमपीडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/विभिन्न शीर्ष घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार की गई है। अवसंरचना के एक घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन निवल मूल्य को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है।

8. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** रोजगार अवसरों से सतत सृजन हेतु परम्परागत उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक और सक्षम बनाने के लिए क्लस्टर आधारित विकास को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार ने समान सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना हेतु यह स्कीम प्रारम्भ की थी।

9. **कयर विकास योजना:** कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इस परम्परागत उद्योग में नियोजित कामगारों की रहन-सहन की दशा में सुधार लाने के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। कयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों शुरू करना; नए उत्पाद और डिजाइन विकसित करना; और भारत तथा विदेश में कयर तथा कयर उत्पादों का विपणन करना शामिल हैं। यह भूमी, कयर तंतु, कयर धागा के उत्पादकों और कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को बढ़ावा भी देता है; उत्पादों और विनिर्माताओं, आदि के लिए पारिस्थितिक संबंधी प्रतिफल सुनिश्चित करता है। इस कयर विकास योजना के अंतर्गत, कयर क्षेत्र के प्रति और अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए इस योजना के विभिन्न घटकों के अधीन उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार, प्रकटन दौरे, आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कयर उद्योग के लिए अपेक्षित कुशल जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से यह बोर्ड मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कौशल विकास और रोजगार

सृजन (कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना के जरिए), नई इकाइयों की स्थापना (उत्पादन अवसंरचना विकास (डीआई), सीआईटीयूएस और पीएमईजीपी योजनाओं के जरिए) तथा पीएमएसबीवाई के जरिए कयर कामगारों के कल्याण हेतु सहायता प्रदान करना।

10. **कयर उद्यमी योजना:** यह कार्यशील पूंजी के `10.00 लाख जमा एक चक्र की राशि तक की लागत वाली परियोजना के साथ केयर युनितों की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध सस्मिडी स्कीम है। यह परियोजना लागत के 25% से अधिक नहीं होगी कार्यशील पूंजी पर सस्मिडी हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यह स्कीम पीएमईजीपी में अमेलित कर दी गई है, तथापि, पिछले वर्ष की देयताओं को पूरा करने के लिए ब.अ. 2019-20 में `2.00 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

11. **खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के लिए ऋण:** केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग केयर बोर्ड और एमजीआईआरआई के कार्मिकों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए इस उपशीर्ष के तहत बजट प्रावधान किया गया है।

12. **सोलर चरखा मिशन:** वर्ष 2016 में बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में सोलर चरखा संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना की सफलता के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऐसे 50 समूहों की स्थापना करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस योजना के तहत लगभग एक लाख व्यक्तियों के सीधे रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत सोलर चरखा समूहों की स्थापना की योजना है जो लगभग मुख्य गांव और 8 से 10 किलोमीटर तक के दायरे वाले आस-पास के गांवों को कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, इस समूह के लाभार्थियों की संख्या 200 से 2042 तक, अर्थात् चरखा चलाने वाले, बुनकर; सिलाई करने वाले और अन्य कुशल कारीगर होगी।

13. **खादी विकास योजना:** खादी विकास योजना (केवीवाई) में (1) रोजगार युक्त गांव, (2) डिजाइन गृह (डीएच) जैसे घटक और (3) बाजार संवर्धन विकास कार्यक्रम (एमपीडीए), (4) ब्याज सस्मिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी), (5) खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) जैसी मौजूदा योजनाएं शामिल हैं।

14. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि अन्य सहायता और सेवाओं के जरिए ग्रामोद्योगों का संवर्धन और विकास। जीवीवाई के निम्नलिखित घटक होंगे:- (क) अनुसंधान और विकास तथा उत्पाद नवाचार, (ख) ग्रामोद्योगों के मौजूदा समर्थित वर्टिकलों के कार्यक्रम, (ग) क्षमता निर्माण, (घ) विपणन और प्रचार।

15. **नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर):** कृषि उद्योग में उद्यमिता बढ़ाने तथा नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता के संवर्धन के लिए (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम) एस्पायर नामक एक नई स्कीम दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई है। इस स्कीम के मुख्य घटक (क) आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्र (एलबीआई) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्र (टीबीआई) और (ग) सिडवी के तहत निधियों की निधि की स्थापना करने पर केन्द्रित है।

16. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएमसीपी):** पूंजीगत सस्मिडी स्कीम एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन गुणवत्ता प्रमाणन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (छ: स्कीम) अर्थात् लीन विनिर्माण स्कीम, डिजाइन क्लीनिक स्कीम, डिजिटल एमएसएमई, इन्क्यूबेशन केन्द्र, बौद्धका संपदा अधिकार (आईपीआर), जैड प्रमाणन स्कीम (जैव स्कीम) में एमएसएमई को वित्तीय सहायता को कवर करता है।

17. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सस्मिडी स्कीम पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) स्कीमों का विलय करके 2008-09 में शुरू की गई। पीएमईजीपी का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर रूर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सस्मिडी प्राप्त

कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सन्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

18. **व्याज सन्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** व्याज सन्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम वजतीय क्षेत्रों से निधियों की वास्तविक आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतराल को भरने के लिए बैंकिंग संस्थानों से निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मई 1977 में प्रारंभ खादी कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। व्याज सन्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं की अपेधानुसार रियायती व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संस्था को मात्र 4 प्रतिशत भुगतान करना होता है। 4 प्रतिशत से अधिक बैंक द्वारा प्रभारित व्याज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चुकाई जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईवी) में पंजीकृत सभी खादी संस्थाएं व्याज सन्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम के तहत वित्तपोषण का लाभ ले सकते हैं।

19. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम प्रचलित है और इस स्कीम के माध्यम से, नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा संपार्थिक मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दी गई है। इस निधि की कार्पस को 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्टफोलियो जोखिम निधि (पीआरएफ) के एक और घटक में, भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करती है जिसका उपयोग एमएफआई/एनजीओ से ऋण की राशि की सुरक्षा जमा आवश्यकता के लिए किया जाता है।

20. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम:** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं उदयमों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 रुपए तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी रेटिंग उनके कार्यनिष्पादन एवं ऋण योग्यता के लिए सूचीबद्ध प्रत्यायित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है।

21. **एमएसएमई को संबन्धित ऋण के लिए व्याज सहायता योजना:** एमएसएमई को संबन्धित ऋण के लिए व्याज सहायता स्कीम ऐसे एमएसएमई को, जिनके पास वैध जीएसटीएन संख्या है और उद्योग आधार संख्या है, को अधिकतम 1 करोड़ तक के नए या वर्धित ऋण पर 2% व्याज सहायता की पेशकश करती है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सिडबी एक नोडल एजेंसी है। इस स्कीम का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा दोनों उद्यमों में इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य/केन्द्रीय सरकार की किसी भी स्कीम के तहत व्याज सहायता का पहले से ही लाभ उठाने वाले एमएसएमई प्रस्तावित योजना के अधीन लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।

22. **प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए):** इस स्कीम का उद्देश्य नई बाजार पहुँच पहलों को बढ़ावा देना, जागरूकता लाना और एमएसएमई को विपणन से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में शिक्षित करना और विपणनीयता के विकास को बढ़ावा देना है। यह स्कीम डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क एनएसआईसी तथा एमएसएमई मंत्रालय के अन्य संगठनों के जरिए कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम के घटक हैं (क) पूरे देश में घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यष्टिगत एमएसएमई की भागीदारी, (ख) मंत्रालय द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन/भागीदारी, (ग) आधुनिक बैंकिंग तकनीक में एमएसएमई का क्षमता निर्माण, (घ) विपणन हाटों का विकास, (ङ) अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनार, (च) विक्रेता विकास कार्यक्रम, (छ) जागरूकता कार्यक्रम।

23. **विपणन सहायता स्कीम (एमएस):** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी द्वारा घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

24. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** इस योजना के तहत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/क्रेता-विक्रेता आयोजनों आदि में एमएसएमई के दौरे/भागीदारी को सुकर बनाना तथा प्रौद्योगिकी विकास, व्यवसाय अवसरों, संयुक्त उद्यमों, निर्यात संवर्धन आदि का पता लगाने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं भी आयोजित करना है।

25. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान की स्थापना जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा का पुनरुद्धार करके 2001 में की गई। एमगिरी का उद्देश्य संपोषणीय और आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था के गांधी विजन की भाँति देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना तथा ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के कार्यकलाप इसके 6 प्रभागों जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकविद करते हैं द्वारा किए जा रहे हैं।

26. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम एमईएनईटी डिवीजन और कार्यालय पुस्तकालय का कार्यचालन भी इस कार्यक्रम के दायरे में आता है।

27. **सूचना, शिक्षा और संचार:** यह एक नई योजना है जिसका उद्देश्य लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय की स्कीमों की बाह्य पहुँच को व्यापक करने के उद्देश्य से लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय द्वारा सुनियोजित सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना है।

28. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** संशोधित दिशा-निर्देशों (15.10.2018 सेप्रभावी) में निम्नलिखित के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: (1) एमएसएमई मंत्रालय और राज्य स्तरीय मौजूदा ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थान को अवसंरचनात्मक सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता। (2) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण (कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण)।

नई ईडीआई स्थापित करने के लिए संशोधित स्कीम के तहत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। निजी प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ को वित्तीय सहायता हेतु इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।

29. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना:** यह स्कीम बंद कर दी गई है।

30. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि:** इसमें एमएसएमई निधि के लिए प्रावधान शामिल है।

31. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई सीडीपी), विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की क्षमता निर्माण तथा उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और देश में उनकी सामूहिकता के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में अंगीकार किया गया है। सामान्य सुविधा केंद्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चे माल के डिपो, अपशिष्ट उपचार, उत्पादन प्रक्रियाएं अनुपूरित करने के लिए, आदि) तथा नए मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रूप में अवसंरचना सहायता प्रदान की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यम समूहों में फ्लैट वाले कारखाना परिसरों की स्थापना करना शामिल है। उच्चतर सहायता के रूप में सूक्ष्म, ग्राम आधारित उद्यमों, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इकाइयों के लिए विशेष जोर दिया गया है। महिला उद्यम संघों को महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए केंद्रीय स्थानों में प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना करने में एमएसई सीडीपी के तहत भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का दूसरा घटक टूल रूम और तकनीकी संस्थाएं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रशिक्षण केंद्रों, टीएस को अवसंरचना सहायता तथा पूर्वोत्तर और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है।

32. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** यह नव अनुयोजित योजना है-नए प्रौद्योगिक केंद्रों विस्तार केंद्रों की स्थापना, 20 नए प्रौद्योगिक केंद्रों और 100 नए विस्तार केंद्रों की 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापना की जाती है।
33. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी षटक:** 200 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की ऋण सहायता सहित 2200 करोड़ की अनुमानित परियोजना से लागत अवसंरचना के तहत 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की जानी है। मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों का उन्नयन आधुनिकीकरण किया जाना है।
34. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय:** इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद और मौजूदा भवनों में फेरबदल/संवर्द्धन संबंधी कार्यों और नए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का प्रावधान है।
35. **डाटाबेस का उन्नयन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत इकाइयों की संख्या, रोजगार की वृद्धि दर, जीडीपी में हिस्सा/ उत्पादन का मूल्य, रूग्णता/समापन का परिमाण और सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों के निर्यात के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और पंचवार्षिक गणना के द्वारा आंकड़े और सूचना एकत्र किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवाई (उद्यमी और गुणवत्ता), विज्ञापन एवं प्रचार इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं।
36. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** स्कीम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओं पर संगत एवं विश्वसनीय आंकड़े नियमित रूप से/समय-समय पर एकत्र करना, आनुभाषिक आंकड़े अथवा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्मुख आई बाधयताएं तथा चुनौतियों का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, तथा नीति अनुसंधान तथा समुचित कार्यनीति तैयार करना सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपायों के लिए इन सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम का प्रयोग करना है।
37. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था। यह हब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय सरकार की सरकारी खरीद नीति आदेश, 2012 के अधीन वाध्यताओं को पूरा करने, अनुप्रयोज्य व्यवसाय पद्धतियां अंगीकार करने और स्टैण्ड अप इंडिया पहलों का उपयोग करने के लिए व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। इस हब के कार्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमों, उद्यमियों के बारे में सूचना का संग्रहण, संकलन और प्रसार, कौशल प्रशिक्षण और ईडीपी, बिक्रेता विकास के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मौजूदा और भावी उद्यमियों में क्षमता निर्माण शामिल हैं।